

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, Section 3, Sub-section (i)]**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification**

New Delhi, the 07 May, 2018

G.S.R.....(E)— In exercise of the powers conferred by sections 139, 143, 147 and 148 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3,-

(a) Explanation shall be omitted;

(b) proviso to sub-rule (7) shall be omitted.

3. In the principal rules, rule 9 shall be omitted.


4. In the principal rules, in rule 10A, for the words “adequate internal financial controls system”, the words “internal financial controls with reference to financial statements” shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 14,-

(a) in clause (a), in sub-clause (i), for the words, “who is a cost accountant in practice”, the words “who is a cost accountant” shall be substituted;

(b) in clause (b) for the words “who is a cost accountant in practice”, the words “who is a cost accountant” shall be substituted.

[F. No.1/33/2013.CL-V (Part)]


07/5/18
K.V.R. Murty, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended as follows:-

1. G.S.R. 722 (E) dated the 14th October, 2014;
2. G.S.R. 972 (E) dated the 14th December, 2015;
3. G.S.R. 307(E) dated the 30th March, 2017;
4. G.S.R. 621(E) dated the 22nd June, 2017; and
5. G.S.R. 174(E) dated the 16th February, 2018.

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 07 मई, 2018

सा.का.नि. ____ (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 139, धारा 143, धारा 147 और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,-

(क) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (7) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियमों के, नियम 9 का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियमों के, नियम 10क में, "पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय कथनों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों के, नियम 14 में,-

(क) खंड (क) के, उपखंड (i) में, "जो व्यवसायरत लागत लेखापरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "जो लागत लेखापरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "जो व्यवसायगत लागत लेखापरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "जो लागत लेखापरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे;

[फा.सं. 1/33/2013-सीएल-V(पार्ट)]

के.वी.आर.मूर्ति
07/5/18
के. वी. आर. मूर्ति
संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 246(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इनमें निम्नलिखित पश्चात्कर्ती संशोधन किए गए:-

1. सा.का.नि. 722(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2014;
2. सा.का.नि. 972(अ) तारीख 14 दिसंबर, 2015;
3. सा.का.नि. 307(अ) तारीख 30 मार्च, 2017;
4. सा.का.नि. 621(अ) तारीख 22 जून, 2017; और
5. सा.का.नि. 174(अ) तारीख 16 फरवरी, 2018